**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

**सिविल अपीलीय अधिकारिता**

सिविल याचिका सं 1422/2022

[एसएलपी (सी) संख्या 24434/2019से उत्पन्न]

सत्य देव भगौर और अन्य — अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य — प्रत्यर्थी

**के साथ**

2022 सिविल अपील संख्या 1426-1430

(2020 की एसएलपी (सी) संख्या 7341-7345 से उत्पन्न)

2022 सिविल अपील संख्या 1431-1437

(2020 की एसएलपी (सी) संख्या 8155-8161 से उत्पन्न)

2022 सिविल अपील संख्या 1438-1440

(2020 की एसएलपी (सी) संख्या 13124-13126 से उत्पन्न)

2022 सिविल अपील संख्या 1423-1425

(2021 की एसएलपी (सी) संख्या 6142-6144 से उत्पन्न)

**निर्णय**

**बी. आर. गवई, जे.**

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. अपीलों के इस समूह में, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (जिसे इसमें इसके बाद उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 13.08.2019 के आदेश की आलोचना की, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 28.08.2018 को चुनौती देते हुए राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था और प्रत्यर्थी राज्य को निर्देश दिया था कि वे अपीलार्थियों को बोनस अंक प्रदान करें, जिन्होंने राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं (इसमें इसके बाद एनएचएम के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनाओं (इसमें इसके बाद एनआरएचएम के रूप में संदर्भित) के तहत काम किया है।

3. संबद्ध विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न सिविल अपीलों में अपीलकर्ता अर्थात्, एसएलपी (सी) संख्या 7341-7345/2020, एसएलपी (सी) संख्या 8155-8161/2020और एसएलपी (सी) संख्या 13124-13126/2020इसी तरह के उम्मीदवार हैं, जो मूल रूप से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने मुख्य मामले में अपीलकर्ताओं के समान राहत की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.08.2019 के एक सामान्य आदेश के माध्यम

से उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यहां अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील की। खण्ड पीठ ने मुख्य मामले में दिए गए आक्षेपित फैसले का भरोसा करते हुए दिनांक 23 मार्च 2020 को जारी सामान्य आदेश के माध्यम से अपीलों को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है ।

4. एसएलपी (सी) संख्या 6142-6144/2021 से उत्पन्न सिविल अपीलों में अपीलकर्ता समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों का एक अन्य समूह हैं। उन्होंने दिनांक 28.02.2019 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित फैसले से व्यथित होकर इस न्यायालय में आये है, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 26.11.2018 के आदेश तहत दो अलग-अलग रिट याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत अपीलों को खारिज किया गया था।

5. इन सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाती है।

6. सुविधा के लिए, एसएलपी (सी) संख्या 24434/2019 से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्यों को विचार के लिए भेजा गया है।

राजस्थान राज्य ने इस संबंध में नियम बनाये है, जो राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके बाद "कथित नियम"कहा गया है) के रूप में जाने जाते हैं। उक्त नियमों का नियम 19 इस प्रकार हैः

> “19. **आवेदनों की जांच-** नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा और इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए उतने उम्मीदवारों

की आवश्यकता होगी, जितने साक्षात्कार के लिए वांछनीय प्रतीत होते हैंः

नर्सिंग कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जैसा भी मामला हो, के तहत समान कार्य पर अनुभव की लंबाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और बोनस अंकों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता तैयार की जाएगी।

बशर्ते कि किसी उम्मीदवार की पात्रता या अन्यथा के बारे में नियुक्त करने वाले प्राधिकरण का निर्णय अंतिम हो।

7. राजस्थान सरकार ने दिनांक 30 मई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल लाइफ सेविंग फंड, एनआरएचएम मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, सामेकित रोग निर्गरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू) के तहत काम किया है, वे प्राप्त अनुभव के अनुसार बोनस अंकों के हकदार होंगे।

1 साल के अनुभव के लिए, बोनस अंक 10 होंगे, 2 साल के अनुभव के लिए बोनस अंक 20 होंगे और 3 साल के अनुभव के लिए

यह 30 होंगे। विज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि केवल ऐसे उम्मीदवार जिनके पास सक्षम प्राधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसा कि उक्त विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, वे ही बोनस अंकों के हकदार होंगे।

8. यहां अपीलकर्ता, जिनके पास विभिन्न राज्यों में संविदा के आधार पर एनआरएचएम योजना के तहत काम करने का अनुभव है, उन्होंने विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राजस्थान राज्य को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र को प्रतिग्रहण करे, जो विभिन्न राज्यों के एनआरएचएम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था, ताकि उन्हें बोनस अंक प्राप्त करने के लिए योग्य माना जा सके। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.08.2018 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी और राजस्थान राज्य को उन अपीलकर्ताओं को बोनस अंक देने का निर्देश दिया जिन्होंने विभिन्न राज्यों में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम किया था।

9. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का दरवाजा खटखटाया। खण्ड पीठ ने दिनांक 13.08.2018 के आदेश द्वारा अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि राजस्थान राज्य का इरादा राजस्थान राज्य के भीतर योजनाओं में कार्यरत लोगों को बोनस अंक देने का लाभ देना था न कि अन्य राज्यों में। इससे व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

10. हमने श्री ऋषभ संचेती, श्री हिमांशु जैन और सुश्री अल्पना शर्मा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और डॉ. मनीष सिंघवी, राजस्थान राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है।

11. अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह है कि कथित नियमों के नियम 19 का एक सादा पठन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत देश में कहीं भी काम करने का अनुभव एक उम्मीदवार को बोनस अंक प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्थान राज्य में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा कार्य वही है जो अन्य राज्यों में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि मूल रूप से ये सभी संविदा कर्मचारी एम्बुलेंस में नर्सिंग सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उक्त नियमों का नियम 19 एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत देश में कहीं भी काम करने वाले उम्मीदवार को बोनस अंक प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उम्मीदवार को इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान राज्य में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले केवल कर्मचारी ही ऐसे लाभ के हकदार हैं।

12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान राज्य में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच राजस्थान राज्य के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ

कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

13. राजस्थान सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने प्रतिवाद किया कि यदि विज्ञापन के साथ-साथ नियम 19 को उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बोनस अंकों का लाभ केवल उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिन्होंने राजस्थान राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। यह बताता है कि राजस्थान विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला एक विशाल राज्य है। उन्होंने आगे कहा कि नियम 19 का उद्देश्य केवल राज्य सरकार के साथ या राजस्थान राज्य में निष्पादित या कार्यान्वित योजनाओं के तहत संविदा कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अतिरिक्त महत्व देना है। उन्होंने कहा कि खण्ड पीठ ने इस पहलू का सही अर्थ लगाया है और राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया है।

14. नियम 19, जो हमारे द्वारा आरंभ में ही वर्णित किया गया है, में यह उपबंध है कि नर्स कम्पाउंडर जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के मामले में, उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्यता तैयार की जाएगी।

इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसी तरह के कार्यों पर अनुभव की लंबाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए बोनस अंकों को योग्यता अंकों में जोड़ा जाएगा।

15. रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से यह प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य की नीति यह है कि नर्स कंपाउंडर जूनियर ग्रेड का चयन करते समय, ऐसे कर्मचारियों को बोनस अंक दिए जाने चाहिए जिन्होंने राज्य सरकार के तहत और विभिन्न योजनाओं के तहत समान कार्य किया है।इस प्रकार सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे बोनस अंक अन्य राज्यों में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होंगे।

16. यह सामान्य बात है कि जब तक नीति स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमानी नहीं पाई जाती, न्यायालय नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की ओर अग्रसर नहीं होंगे ।

यह न्यायालय उस स्थिति में नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब कोई राज्य यह बताने की स्थिति में हो कि नीति को लागू करने में बोधगम्य विभिन्नता है और इस तरह के बोधगम्य विभिन्नता का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त किया जाना है।

17. इस न्यायालय ने कृष्णन कक्कथ बनाम केरल सरकार और अन्य के मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया हैः

> "36. संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में तर्कहीनता और मनमानेपन का पता लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए कोई अभ्यास किया जाए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि एक बेहतर या अधिक व्यापक नीतिगत निर्णय लिया जा सकता था। यह भी उतना ही महत्वहीन है कि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि नीतिगत निर्णय

मूर्खतापूर्ण है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है, उसके विफल हो जाने की संभावना है। जब तक कि नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना या मनमाना नहीं होता और किसी भी कारण से सूचित नहीं किया जाता है या यह भेदभाव से ग्रस्त है या अधिनियम के किसी कानून या प्रावधानों का उल्लंघन करता है, नीतिगत निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अवैधता और असंवैधानिकता के संदर्भ में एक सार्वजनिक नीति का परीक्षण करने के सीमित उद्देश्य को छोड़कर, अदालतों को सार्वजनिक नीति के अज्ञात समुद्र में उतरने से बचना चाहिए।

18 शेर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इस प्रकार मत व्यक्त किया हैः

> "तथ्य यह है कि अदालतें सरकारी नीति के मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करेंगी, सिवाय उन मामलों के जहां यह दिखाया गया है कि निर्णय अनुचित, दुर्भावनापूर्ण या किसी भी वैधानिक निर्देशों के विपरीत है।

19. जब विज्ञापन के खंड 7 के उपखंड (ii) के साथ नियम 19 पढ़ा जाता है तो राजस्थान राज्य की नीति और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा।विज्ञापन के खंड 7 के उप-खंड (ii) में उन अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया है]जो संविदा कर्मचारियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र

जारी करने के लिए सक्षम हैं। इस सूची से पता चलता है कि अधिकांश सक्षम अधिकारी वे अधिकारी हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी डेंटल कॉलेज, निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सभी प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी आदि संस्थान के प्रमुख हैं। जहां तक एनएचएम/एड्स का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख एनएचएम/एड्स के परियोजना निदेशक के रूप में किया गया है। हम पाते हैं कि परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स को देश में कहीं भी एनएचएम/एनआरएचएम का परियोजना निदेशक होना उक्त शब्दों को बिना संदर्भ के पढ़ना होगा।

जब विज्ञापन के खंड (7) के उप-खंड (ii) में राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रमुख अन्य सभी अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, तो 'परियोजना निदेशक, एनएचएम'शब्द का अर्थ राजस्थान राज्य के भीतर 'परियोजना निदेशक, एनएचएम'के रूप में किया जाएगा।

20. यद्यपि आक्षेपित आदेश में इस पहलू पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है, फिर भी जगदीश प्रसाद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगाः

> “उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अवलोकन से राजस्थान सरकार ने संविदा के आधार पर और राजस्थान सरकार तथा मेडी केयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा नियंत्रित विभिन्न योजनाओं के तहत काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के आदिवासी और शुष्क क्षेत्रों सहित

ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य प्रणाली से संबंधित हैं।यह भी ध्यान दें प्रासंगिक है कि इस तरह के प्रशिक्षणों में भागीदारी अनिवार्य है और इसमें शामिल न होने के परिणामस्वरूप सेवा अनुबंध का नवीकरण नहीं किया जा सकता है।राजस्थान सरकार और मेडी केयर रिलीफ सोसाइटी के साथ काम करने वाले नर्स ग्रेड-II के काम के समान अनुभव वाले व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं से संबद्ध अन्य संस्थानों में तैनात हैं और ऐसे व्यक्तियों को राज्य में काम करने का विशेष ज्ञान है।

ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य में काम करने का अनुभव न रखने वाले व्यक्तियों से अलग वर्ग बनाता है। यह भी ध्यान दें योग्य है कि यह लाभ राजस्थान में काम करने के अनुभव के साथ सेवा की लंबाई के आधार पर दिया गया है, न कि पात्रता के आधार पर। योग्यता रखने वाला व्यक्ति किसी भी अनुभव के बावजूद भर्ती की प्रक्रिया का सामना करने का हकदार है। अन्य राज्यों में प्राप्त अनुभव की तुलना राजस्थान राज्य में काम करने के अनुभव से नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं और मुद्दे हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति अलग-अलग स्थान पर खड़े हैं।

21. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जगदीश प्रसाद (पूर्वोक्त) के मामले में खण्ड पीठ ने रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राजस्थान सरकार ने संविदा के आधार पर और साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत इसके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के आदिवासी और शुष्क क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य प्रणाली से संबंधित हैं। खण्ड पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह के प्रशिक्षण में भागीदारी अनिवार्य है और इसमें शामिल नहीं होने से सेवा अनुबंधों का नवीकरण नहीं होगा।

यह माना गया है कि राजस्थान राज्य में काम करने में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति राज्य में काम करने का ऐसा अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्तियों से अलग वर्ग बनाते हैं। यह पाया गया कि राज्य की नीति द्वारा दिया गया लाभ केवल अनुभव के आधार पर थोड़ा और अधिक महत्व देने का था और सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया की कठोरता से गुजरना आवश्यक था। खण्ड पीठ ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि अन्य राज्यों में अनुभवी उम्मीदवारों की तुलना राजस्थान राज्य में काम करने वाले उम्मीदवारों के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं और मुद्दे हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति एक अलग स्तर पर खड़े हैं।

22. हम खण्ड पीठ की पूर्वोक्त टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। हमने पाया है कि राजस्थान राज्य की नीति केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए बोनस अंकों का लाभ सीमित करने की है जिन्होंने राजस्थान राज्य में विभिन्न संगठनों के तहत काम किया है और राजस्थान राज्य में

एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

23 यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने सचिवालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को महत्व देने तदर्थ राजस्थान राज्य की नीति को बरकरार रखा है, जहां सेवाओं का उपयोग राज्य द्वारा अस्थायी या तदर्थ आधार पर किया गया था।

24. इस मामले की दृष्टि से, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अपीलें खारिज की जाती हैं।

25. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**..... जे. [एल. नागेश्वर राव]**

**.... जे. [बीआर गवई]**

**नई दिल्ली**

**17 फरवरी, 2022**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator)

**Disclaimer**: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other

purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.